न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R-1424-III/14

B.O.R.

10 APR 2014

62
28-4-14

(1) महिला जनका पत्नि स्वामीप्रसाद कड़ा निवासी कुमेदान मुहल्ला टीकमगढ़ म0प्र0 (मृत)

वारसान:-

(1) पुत्र सुरेन्द्र कड़ा तनय स्वामीप्रसाद कड़ा

(2) नरेन्द्र कड़ा तनय स्वामी प्रसाद कड़ा

(3) महेन्द्र कड़ा तनय स्वामी प्रसाद कड़ा

(4) सावित्री कड़ा पुत्री स्वामी प्रसाद कड़ा

(5) गायत्री कड़ा पुत्री स्वामी प्रसाद कड़ा

सभी निवासी ग्राम कुमेदान मुहल्ला टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

---निगराकार गण

बनाम

(1) श्रीमति राबिया उर्फ रब्बो पत्नि इशाक-मुहम्मद, निवासी नरैया मुहल्ला टीकमगढ़ म0प्र

(2) श्रीमति श्यामबाई पत्नि स्व0लक्ष्मन कड़ा निवासी विनोद कुंज तिराहा टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

(3) म0प्र0 शासन द्वारा नजूल इन्सपेक्टर टीक

---उत्तरवादी/प्रतिनिगराक

निगरानी प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क्र0 12/पुनर /2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10. 2. 2014 के विरूद्ध निगरानी अ धारा 50 म0प्र0 भू-रा0सं0 1959 के तहत ।

28.4.14 को
आयुक्त कार्यालय के
प्राप्त

3-5-14

महोदय,

निगराकार गणों की विनय सादर निम्न है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ का प्र0क्र012/पुनर /2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10. 2. 14 विधि विधान एवं वाक पत्रावली व नियम के विरूद्ध है क्योंकि उत्तरवादी के द्वारा अधीनस्थ न में एक निगरानी नजूल अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालयीन प्र0क्र 028/अ 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31. 12. 2011के विरूद्ध दिनांक 17.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1424-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ जनका विरूद्ध राविया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश माली उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 12/पुनरीक्षण/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-02-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-04-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया हैं । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकांरी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जिन) 4.1.19
सदस्य